राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–23/2025

अब्दुल हसन बनाम् चन्द्रावती देवी।

यह वाद श्री अब्दुल हसन, पिता–श्री उस्मान मियाँ, जमालपुर, वार्ड संख्या–02, थाना+पोस्ट–आन्दर, **जिला–सिवान**–841231 द्वारा श्रीमती चन्द्रावती देवी, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत आन्दर, सिवान(बिहार) के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(स)–सह–पठित धारा–18(2) के तहत इस नियम के अधीन निर्धारित कर्त्तव्यों एवं कृत्यों की जान–बुझकर उपेक्षा के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर पंचायत आन्दर, **जिला–सिवान** के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार हर्षवर्द्धन द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सिवान** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्रीमती सीमा कुमारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, **सिवान** को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन जान–बुझकर नहीं किया जा रहा है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(1)(स) के तहत अयोग्यता का कारण है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–22 के तहत सशक्त स्थायी समिति कार्यकारी शाक्तियों का उपयोग कर सकती है तथा बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली–2010 की धारा–3 के तहत सशक्त स्थायी समिति के दो बैठकें प्रतिमाह आयोजित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य पार्षद का यह दायित्व है कि वह प्रतिमाह दो बैठकें आहूत करें, परन्तु प्रतिवादी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–48(2) के तहत मुख्य पार्षद को प्रतिमाह सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित करनी है, उसका अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा गठन से अबतक 81 बैठकों के विरूद्ध मात्र 27 बैठकें की गयी है। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी–सह–मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, आन्दर श्रीमती चन्द्रावती देवी द्वारा जान–बुझकर ऐसा किया जा रहा है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के पुत्र श्री रंजीत कुमार सिंह मुख्य पार्षद कार्यालय में शराब पीने के कारण नामजद अभियुक्त है, उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप F.I.R. की छायाप्रति आयोग को अवलोकन कराया गया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि मुख्य पार्षद के मनमानी का एक और साक्ष्य यह है कि उनके द्वारा अपने पुत्र रंजीत कुमार सिंह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जबकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 में इस प्रकार का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है, जिसमें कोई निर्वाचित जन–प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकें। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा मुख्य पार्षद से स्पष्टीकरण भी माँगा गया है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा श्रीमती चन्द्रावती देवी, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत आन्दर, सिवान के पत्रांक–33/25, दिनांक–11.03.2025 तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1068, दिनांक–21.04.2025 का अवलोकन आयोग को कराया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल लिखित उत्तर दिया गया था, वादी के तर्कों का मौखिक प्रतिवाद नहीं किया गया। उनके द्वारा लिखित उत्तर में यह तर्क दिया गया है कि वादी का दावा गलत तथ्यों पर तथा अर्द्ध सत्य पर आधारित है। उनके द्वारा आगे जवाब में यह अंकित किया गया है कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक नहीं करने का वादी का आरोप गलत है और वह इसका जोरदार खण्डन करते है। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके मुवक्किल के द्वारा लगातार कार्यपालक पदाधिकारी, आन्दर को बैठके आहूत करने हेतु अनुरोध–पत्र दिया गया है, परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी, आन्दर के नियमित पदस्थापन के अभाव में प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उनके अनुरोधों के नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण बैठकें नियमित रूप से नहीं हो सकीं। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि बैठकों के आहूत करने कि प्रशासनिक जवाबदेही उनकी नहीं है। अतः उनके लिखित अनुरोध के बावजूद समय से बैठक नहीं कराने के प्रशासनिक चूक हेतु उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता।

आगे उनके द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि वादी द्वारा यह गलत सूचना दी गयी है कि बोर्ड की पहली बैठक दिनांक–13.02.2023 को हुई, जबकि वास्तविकता यह है कि पहली बैठक दिनांक–09.02.2023 को हुई।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का अगला आरोप यह है कि आन्दर नगर पंचायत का बज़ट पारित नहीं किया गया, बल्कि सच्चाई यह है कि बज़ट को ससमय सक्षम प्राधिकार के समय प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक–23.02.2023 को विहित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया गया।

उनके द्वारा वादी के अगले आरोप का उत्तर अंकित करते हुए, आयोग को बताया गया कि मुख्य पार्षद के कार्यालय में तथाकथित शराब पार्टी को वह गलत बताते हुए, पूर्णरूपेण नकारते हैं। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि **'वायरल फोटो'** जिसमें उनके पुत्र एवं कुछ मजदूर शराब जैसी पेय पदार्थ टेट्रा पैक के साथ दिखते है, वह फोटो उनके कार्यालय का नहीं है, बल्कि नगर पंचायत में बन रहे निर्माणाधीन नगर पंचायत के भवन के एक भाग का है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि रात की पाली में कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा संभवतः उनके जानकारी एवं सहमति के अभाव में लाया गया है। ज्योहीं उनको इस तथ्य की जानकारी हुई, उनके द्वारा स्वयं F.I.R. दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके पुत्र के विरूद्ध भी F.I.R. सम्मिलित है। अपने ही पुत्र की विरूद्ध F.I.R. दर्ज कराना कानून के प्रति उनके प्रति बद्धता को दर्शाता है। आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के गलत कार्य हेतु दंडित नहीं किया जा सकता, जबकि उस व्यक्ति द्वारा कानून सम्मत कार्य किया गया हो।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का यह दावा सही नहीं है कि उनके द्वारा 27 के स्थान पर 15 बैठकें आयोजित की गयी है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यह तथ्य बिल्कुल ही गलत है एवं दिगभ्रमित करने वाली है, अतः पूर्णरूपेण इस आरोप का वह खण्डन करते हैं, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके मुवक्किल के द्वारा लगातार कार्यपालक पदाधिकारी, आन्दर को बैठके आहूत करने हेतु अनुरोध–पत्र दिया गया है, परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी, आन्दर के नियमित पदस्थापन के अभाव में प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उनके अनुरोधों के नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण बैठकें नियमित रूप से नहीं हो सकीं। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि बैठकों के आहूत करने कि प्रशासनिक जवाबदेही उनकी नहीं है। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी के त्वरित स्थानान्तरण, विधान सभा सत्र तथा निर्वाचनों में लगने वाले आदर्श आंचार संहिता के कारण ही बैठकें प्रभावित हुई हैं, ज्योहीं दिनांक–02.07.2024 को स्थायी कार्यपालक पदाधिकारी, आन्दर का पदस्थापन हुआ तबसे बिना किसी चूक के नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही है।

आगे उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि श्री रंजीत कुमार सिंह की नियुक्ति का मामला उन्हें धोखे में रखकर कराने का प्रयास कार्यालय के लिपिक द्वारा किया गया, परन्तु ज्योहीं यह मामला उनके संज्ञान में आया, उनके द्वारा अविलम्ब पत्रांक–38/2025 के माध्यम से की गयी नियुक्ति का वापस ले लिया गया तथा छल से नियुक्त किये गये, व्यक्ति द्वारा कोई भी वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः केवल गलती से निर्गत कराये गये, पत्र को Prompt Action लेते हुए, वापस करना उनके मुवक्किल के Bona fide Intention का द्योतक है। अंत में उनके द्वारा उक्त तथ्यों के आलोक में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–3232/पं0, दिनांक–24.11.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–**

बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली–2010 की धारा–3 के अनुसार महीनें में दो बार सशक्त स्थायी समिति की बैठक पहले और तीसरे सोमवार को जैसा समिति निर्धारित करें, वह तिथि को किया जाना है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की कंडिका–48(1) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक सामान्य बोर्ड का किया जाना है।

नगर पंचायत आन्दर में निर्वाचन के पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, आन्दर के पदस्थापन दिनांक–02.07.2024 को होने के उपरांत सशक्त स्थायी समिति की बैठक एवं सामान्य बोर्ड की बैठक का विस्तृत प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में निम्नवत् है:–

जिला का नाम :– **सिवान**

नगरपालिका का नाम :– **नगर पंचायत, आन्दर**

वर्तमान बोर्ड के गठन की तिथि :– **13.01.2023**

क्र0	माह	सशक्त स्थायी समिति बैठक की न्यूनतम सं0	सामान्य बोर्ड बैठक की न्यूनतम सं0	सशक्त बैठकों की तिथि	सामान्य बैठकों की तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	फरवरी, 2023	02	01	—	09.02.2023 एवं 23.02.2023	
2	मार्च, 2023	02	01	—	—	
3	अप्रैल, 2023	02	01	28.04.2023	—	
4	मई, 2023	02	01	—	30.05.2023	
5	जुन, 2023	02	01	03.06.2023	—	
6	जुलाई, 2023	02	01	—	—	
7	अगस्त, 2023	02	01	18.08.2023	04.08.2023	
8	सितम्बर, 2023	02	01		—	
9	अक्टूबर, 2023	02	01	25.10.2023	06.10.2023	
10	नवम्बर, 2023	02	01	—	—	
11	दिसम्बर, 2023	02	01	—	20.12.2023	
12	जनवरी, 2024	02	01	—	—	
13	फरवरी, 2024	02	01	—	—	
14	मार्च, 2024	02	01	15.03.2024	04.03.2024	
15	अप्रैल, 2024	02	01	—	—	
16	मई, 2024	02	01	—	—	
17	जुन, 2024	02	01	10.06.2024	11.06.2024 एवं 18.06.2024	
18	जुलाई, 2024	02	01	29.07.2024	15.07.2024	
19	अगस्त, 2024	02	01	31.08.2024	23.08.2024	
20	सितम्बर, 2024	02	01	21.09.2024	27.09.2024	
21	अक्टूबर, 2024	02	01	28.10.2024	23.10.2024	
22	नवम्बर, 2024	02	01	25.11.2024	30.11.2024	
23	दिसम्बर, 2024	02	01	27.12.2024	26.12.2024	
24	जनवरी, 2025	02	01	11.01.2025	24.01.2025	
25	फरवरी, 2025	02	01	27.02.2025	22.02.2025	
26	मार्च, 2025	02	01	24.03.2025	29.03.2025	
27	अप्रैल, 2025	02	01	29.04.2025	28.04.2025	
28	मई, 2025	02	01	31.05.2025	31.05.2025	
29	जुन, 2025	02	01	30.06.2025	30.06.2025	
30	जुलाई, 2025	02	01	21.07.2025	18.07.2025	
31	अगस्त, 2025	02	01	13.08.2025 एवं 25.08.2025	30.08.2025	
32	सितम्बर, 2025	02	01	22.09.2025 एवं 27.09.2025	27.09.2025	

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायनिर्णयों तथा विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध मुख्य रूप से तीन आरोप लगाये गये हैं–

(1) वैधानिक प्रावधानों के अधीन होने वाले नगरपलिका की बैठकों को न्यूनतम निर्धारित संख्या में आहूत नहीं करना तथा

(2) प्रतिवादी के पुत्र द्वारा मुख्य पार्षद कार्यालय आन्दर, सिवान में सामूहिक मद्यपान करना।

(3) प्रतिवादी द्वारा अपने पुत्र को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना।

आयोग द्वारा तीनों आरोपों का परिशीलन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया, तो निम्नवत् स्थिति, तथ्यात्मक रूप से पायी गयी:–

नगरपालिका के अधीन दो बैठकों का वैधानिक प्रावधान है जिसे आहूत करने की वैधानिक जिम्मेदारी मुख्य पार्षद को दी गयी है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–48 के प्रावधान निम्नवत् है:–

"48(1) नगरपालिका अपने कार्य संचालन हेतु प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करेगी। (The Municipality shall meet not less than once in every month of the transaction of its business.)

48(2) मुख्य पार्षद, जब कभी उपयुक्त समझे तथा पार्षदों को कम से कम ख2/5, भाग द्वारा लिखित रूप में अध्यपेक्षा किये जाने पर, नगरपालिका की बैठक ख्पन्द्रह दिनों, के भीतर आहूत करेगा।"

ठीक इसी प्रकार सशक्त स्थायी समिति की बैठक के संबंध में बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावाली–2010 के नियम–3 में प्रावधान है कि –" समिति साधारणतया महीने में दो बार सामान्यतः पहले और तीसरे सोमवार को वैसे घंटों के लिए जैसा समिति समय–समय पर निर्धारित करें, नगरपालिका के कार्यलय में बैठक करेगी। (The Committee shall meet at the Municipal Office ordinarily twice in a month generally on first and third Monday at such hours as the Committee may from time to time determine.)

परन्तु यदि किसी महीने के पहले या तीसरे सोमवार को राजपत्रित छुट्टी पड़े, या अध्यक्ष के विचार में किसी अन्य कारण से असुविधाजनक हो तो, ते कारणों की लिखित रूप में अंकित करते हुए साधारण बैठकों के लिए दूसरा दिन तय करेंगे।" (Provided that if the first or third Monday of any month falls on a Gazetted Holiday, or if the Chairman for any other reason considers such day inconvenient, he may with reasons to be recorded in writing fix another day for the ordinary meetings.)

उक्त अधिनियम की धारा–27(अ) में मुख्य पार्षद की शक्तियों एवं कार्यों का वैधानिक प्रावधान अंकित है, जो निम्नवत् है–

धारा–27(अ)(1) मुख्य पार्षद नगरपालिका के कार्यपालक अध्यक्ष होगा ओर नगरपालिका प्रशासन उसके पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त है।

धारा–27(अ)(2) मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी समिति एवं पार्षदों के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा। मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उपमुख्य पार्षद अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।"

उक्त वैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि नगरपालिका प्रशासन का संचालन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अधीन संचालित करने की वैधानिक जिम्मेदारी मुख्य पार्षद की है। अतः वैधानिक प्रावधानों के अधीन पार्षदों की बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की निर्धारित न्यूनतम बैठकों का नहीं कराया जाना मुख्य पार्षद द्वारा जान–बूझकर अपने वैधानिक कर्त्तव्यों की उपेक्षा का प्रमाण है। इस संबंध में प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि विभिन्न निर्वाचनों या अन्य कारणों से बैठके आहूत नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन के समय आदर्श आचार सहिता के तहत वैधानिक प्रावधानों के अधीन निर्धारित बैठकों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। ऐसी बैठकों पर प्रतिबंध

केवल इतना रहता है कि इन बैठकों में कोई नयी योजना पारित नहीं की जायेगी अथवा ऐसी बैठकों में किसी ऐसे जनप्रतिनिधि/राजनीतिक दल के सदस्य को शामिल नहीं किया जायेगा जो उस निर्वाचन में भाग ले रहे हो। वैधानिक प्रावधान एवं नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किन्ही कारणों से बैठके आहूत नहीं की जाती तो उसे कार्यवाही प्रतिवेदन में अभिलेखित किया जायेगा, परन्तु विचाराधीन मामले में प्रतिवादी द्वारा न तो बैठके आहूत की गयी है और न ही बैठके आहूत नहीं करने का कोई कारण अभिलेखित किया है। यहाँ तक कि उनके द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि निर्वाचनों के कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति की बैठकों पर रोक लगा दिया गया है।

प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि नियमित कार्यपालक पदाधिकारी के पदस्थापन के अभाव में बैठकें आहूत नहीं हो सकीं, क्योंकि स्वयं उनके पत्र से स्पष्ट है कि कार्यपालक पदाधिकारी, आन्दर का प्रभार प्रत्येक समय किसी न किसी पदाधिकारी को दिया गया था। अतः संचिका में बैठक की तिथि निर्धारित कर नोटिस निर्गत करने का आदेश देने के बजाय उनके द्वारा अपने 'लेटर पैड' पर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र दिया गया है, जिसपर कोई प्राप्ति अंकित नहीं है। इस कारण से इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है और प्रमाणित होता है कि यह **After Thought** है। उल्लेखनीय है कि मुख्य पार्षद, नगरपालिका बोर्ड के कार्यकारी प्रधान होते हैं। अतः वैधानिक जवाबदेही को वह कार्यपालक पदाधिकारी पर टाल नहीं सकते।

उक्त वर्णित स्थिति में आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि प्रतिवादी द्वारा जान–बूझकर सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक मनमाने ढ़ंग से आहूत करना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No-15843/2007 में दिये गये न्यायनिर्णय के आलोक में इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों एवं कृत्यों की जान–बूझकर उपेक्षा है तथा इस कारण से वह बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा–18(1)(स) के तहत अयोग्य घोषित किये जाने योग्य है।

आयोग द्वारा वादी के दूसरे आरोप का भी गहन परीक्षण किया गया, तो यह पाया गया कि आयोग 'फोटोग्राफ्स' के सत्यापन के संबंध में वर्तमान में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वादी द्वारा Genuity के संबंध में Forensic Report संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही साथ दर्ज F.I.R. में संबंधित पुलिस जाँच पदाधिकारी का अन्वेंषण प्रतिवेदन भी संलग्न नहीं है।

वादी के तृतीय आरोप प्रमाणित पाया गया है, क्योंकि स्वयं प्रतिवादी द्वारा अपने 'लेटर पैड' पर श्री रंजीत कुमार सिंह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जबकि इस प्रकार की नियुक्ति का प्रावधान बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 में उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1068, दिनांक–21.04.2025 के द्वारा श्रीमती चन्द्रावती देवी से उक्त के संबंध में कारण पृच्छा की गयी है।

प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उक्त नियुक्ति उनसे गुमराह कर लिपिक द्वारा करा ली गयी, क्योंकि नियुक्ति–पत्र स्वयं उनके 'लेटर पैड' पर निर्गत है। साथ ही साथ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में ऐसे किसी पद का प्रावधान नहीं होने के बावजूद ऐसी नियुक्ति करना मुख्य पार्षद के रूप में प्राप्त शक्तियों का दुरूपयोग है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से प्रमाणित है कि श्रीमती चन्द्रावती देवी, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, आन्दर, सिवान द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित वैधानिक कर्त्तव्यों एवं कृत्यों की जान–बूझकर उपेक्षा करने तथा उनमें निहित शक्तियों को दुरूपयोग करने के दोषी है। इस प्रकार उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–18(1)(स) के तहत निरर्हता/अयोग्यता अर्जित कर ली गयी है।

अतएव उक्त अधिनियम बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(स) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्रीमती चन्द्रावती देवी, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, आन्दर, सिवान को अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, आन्दर, सिवान के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुख्य

पार्षद, नगर पंचायत, आन्दर, सिवान का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
29.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
29.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी
पटना, दिनांक– 29.04.2026

ज्ञापांक–23/2025 1755

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,**सिवान**/जिला आपूत्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी विकास शाखा, **जिला–सिवान** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला आपूत्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी विकास शाखा, **जिला–सिवान** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

29/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी
पटना, दिनांक– 29.04.2026

ज्ञापांक–23/2025 1755

प्रतिलिपि–श्री अब्दुल हसन, पिता– श्री उस्मान मियाँ, जमालपुर, वार्ड संख्या–02, थाना+पोस्ट–आन्दर, **जिला–सिवान**–841231 एवं श्रीमती चन्द्रावती देवी, पदमुक्त मुख्य पार्षद, नगर पंचायत आन्दर, सिवान(बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी
पटना, दिनांक– 29.04.2026

ज्ञापांक–23/2025 1755

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री वैष्णो कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी